CDD-T-2

कार्यालय गन्ना विकास परिषद मझावली

पत्रांक 109/नि/निर्माण दिनांक 30.11.17

निविदा आमंत्रण सूचना (ई–प्रोक्योरमेन्ट सूचना)

गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ की ओर से मंत्री, गन्ना विकास परिषद .... द्वारा गन्ना विकास विभाग में पंजीकृत एवं लोक निर्माण विभाग अनुमति प्राप्त 'ए' 'बी' 'सी' एव 'डी' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यो हेतु प्रतिषत दर पर आनलाईन **http://etender.up.nic.in** के माध्यम से निविदा आमत्रित की जाती हैं–

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	कुल लम्बाई (कि.मी.)	लागत लाख रू. में	धरोहर धनराशि लाख रू. मे	निविदा प्रपत्र का मूल्य (स्टेशनरी + निविदा मूल्य 18%जी.एस.टी. सहित)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	मंत्री, गन्ना विकास परिषद का पता	जिला गन्ना अधिकारी का पता	उप गन्ना आयुक्त का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		गडढामुक्ति योजना								
1	सम्भल	चन्दौसी इस्लामनगर रोड से मई	0.450	7.190	0.72	500+300+54 = 854.00	31/12/17	कार्यालय गन्ना विकास परिषद मझावली	कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी सम्भल	कार्यालय उप गन्ना आयुक्त मुरादाबाद
2		चन्दौसी सम्भल मार्ग पर मोहम्मदपुर बावई से कुकेड़ा	1.800	13.350	1.34	500+300+54 = 854.00	31/12/17			
3		हयातनगर जयरोई से रूस्तमपुर उगिया मार्ग	0.400	6.380	0.64	500+300+54 = 854.00	31/12/17			
4		ग्राम कनैटा निकट देहली को सर्म्पक मार्ग से जोड़ना	0.230	2.060	0.21	500+300+54 = 854.00	31/12/17			

निविदा की शर्ते निम्न प्रकार हैः–

1– प्रत्येक कार्य के पूर्ण करने की अवधि (वर्षाकाल सहित) उपरोक्त तालिका के कालम 8 में दर्षायी गयी है।

2– निविदा की वैघता निविदा प्राप्ति के दिन से 90 दिन तक होगी। वैघता की अवधि मे निविदा को वापस नही लिया जायेगा।

3– प्रत्येक निविदा के साथ निविदा सूचना की तालिका में कालम नं0 7 के अनुसार अप्रत्यार्पणीय शुल्क (नॉन रिफन्डेबिल फीस) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमाड ड्राफ्ट के रूप में उपरोक्त धनराशि के लिए मंत्री, गन्ना विकास परिषद मझावली .... जनपद सम्मल के पक्ष में देय हो सलग्न करना अनिवार्य है। इच्छुक निविदादाता अधिक जानकारी अंकित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से साय 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र वैबसाइट **http://etender.up.nic.in** से दिनाक 01.12.2017 प्रातः 10:00 बजे से दिनाक 05.12.2017 प्रातः 12:00 बजे तक डाउनलोड की जा सकती है।

4– निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वैबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। वैबसाइट पर यह पंजीकरण कभी भी निशुल्क कराया जा सकता है। निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजीटल सिगनेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके न होने पर निविदा डालना सम्भव नही होगा।

5– निविदा प्रपत्र के अनुसार प्रीबिड बैठक दिनाक 04.12.2017 को जिला गन्ना अधिकारी सम्भल के कार्यालय में 12:00 बजे दोपहर आयोजित की जायेगी। जिसमें कार्य से सम्बन्धित समस्त जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं।

6– ई–टेन्डरिंग के माध्यम से ऑनलाइन निविदा सबमिट करने की अन्तिम तिथि 05.12.2017 प्रातः 12:00 बजे तक है। निविदा डालने हेतु वेबसाइट **http://etender.up.nic.in** पर दिये गये अनुदेशों के अनुसार निविदादाता द्वारा निविदा सबमिट नियत तिथि एवं समय तक सबमिट की जा सकती है, तथा टेंकनिकल दिनांक 05.12.2017 को अपरान्ह 02.00 बजे कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी जनपद सम्मल में खोली जायेंगी।

7– निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के साथ निम्नांकित प्रपत्र उपरोक्त निविदा के कालम स0 09 में दर्शाये गये किसी भी कार्यालय में दिनाक 05.12.2017 प्रातः 12:00 बजे तक पजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऐसा न किये जाने की दशा मे निविदा नॉन रेस्पॉन्सिव घोषित कर दी जायेगी। डाक में हुई देरी के लिए निविदा आमन्त्रितकर्ता / विमाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नही होगे।

(क)– निविदा मूल्य सम्बन्धित मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट।

(ख)– धरोहर धनराशि निविदा प्रपत्र (बिडिंग डाकयूमेन्ट) में निर्धारित किसी एक रूप में देनी होगी तथा निविदा प्राप्ति से 6 माह तक वैध होनी चाहिए। जोकि मत्री, गन्ना विकास परिषद मझावली जनपद संभल के पक्ष में बन्धक होगा। बैंक गारण्टी मान्य नही होगी। अनु. जाति/ज. जाति के पंजीकृत ठेकेदारो को धरोहर धनराशि शा.सं. 3460/23.07.08– 41 एम.एस.ए./54 टी.सी.–।।। अनुभाग–7 दिनांक 28.07.08 के अनुपालन में अनुमानित लागत (कॉलम–5) का 2% ही संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ग)– बिड डाक्यूमेन्ट के आई0टी0बी0 के अनुरूप समस्त शपथ पत्र–मूल में।

8– आई0टी0बी0 के क्लॉज के अनुसार कोई निविदाकर्ता गन्ना विकास विभाग में जहां उनका सम्बन्धित अथवा उनकी पत्नी का निकट संबन्धी (प्रथम रक्त संबंधी अथवा उनकी पत्नी) कार्य करने के योग्य नही होंगे। निविदाकर्ता द्वारा यह शपथ पत्र भी दिया जायेगा जिसमें उसके संबन्धियों के नाम तथा उनके पद नाम का उल्लेख होगा, जो कि गन्ना विकास विभाग के कार्यालय में कार्यरत हो।

9– आई0टी0बी0 के क्लॉज के अनुसार कोई राजपत्रित अभियन्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासकीय विभाग में कार्यरत हो सेवानिवृति की अवधि दो वर्ष के बाद तक बिना सरकार की अनुमति के ठेकेदारी के काम के लिए प्रतिबन्धित होंगे। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नही ली है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथपत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

10– निविदा से सम्बन्धित निविदा डालने हेतु योग्यता एवं पात्रता, ड्राईग, विशिष्टियां, मात्राओं का विवरण एवं ठेके की अन्य शर्तो जिनका ठेकेदार द्वारा पालन किया जाना है को सम्बन्धित मंत्री, गन्ना विकास परिषद के कार्यालय में जिनका उल्लेख कॉलम 09 में किया गया है, किसी कार्य दिवस में दिनांक 05.12.2017 प्रातः 12:00 तक देखा जा सकता है।

11–निविदादाता को यह परामर्श दिया जाता है कि वो निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व वास्तविक कार्य स्थल की जांच करने के साथ–साथ ही निर्माण कार्यो के सवाल भी देख ले, यह समझा जायेगा कि निविदा डालने से पहले उन्होने कार्यक्षेत्र, स्थानीय दशाओं, रेखाचित्र, विशेष विवरणों, संविदा शर्तो आदि से परिचित कर लिया है।

12–कोई भी निविदा कर्ता जिसका आपराधिक रिकार्ड है, निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित है।

13–ऐसे निविदाकर्ता जो राज्य विधि कौंसिल में पजीकृत हो, निविदा देने से प्रतिबन्धित होंगे (निविदा डालने के योग्य नही होंगे)

14–निविदादाता को निविदा की वैद्यता हेतु निविदा के साथ रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर रू0 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर युक्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15–निविदादाता को निविदा के साथ निविदाप्रपत्र के 'सेक्शन 3' के अनुसार रू0 100.00 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र ऑन लाइन एवं मूल में देना अनिवार्य है।

16–निविदाकर्ता द्वारा सभी सूचना/डाक्यूमेंट निर्धारित प्रपत्र (सीडीडी–टी–4, सीडीडी–टी–5, सीडीडी–टी–6) में प्रत्येक निविदा के साथ सक्षम अधिकृत हस्ताक्षरी से सत्यापित कराकर मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेंगी।

17– कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार मात्राओं में विचलन हो सकता है। जिसके लिए ठेकेदार बाध्य होगा।

18– शासनादेश सं0 6738/23–07–2006–176(एल0के0ओ0)/06 दिनांक 05.01.2007 के अनुसार निविदा/निविदा सूचना का प्रारूप अंग्रेजी भाषा में अनुमोदित है। परन्तु निदेशक सूचना एवं सम्पर्क विभाग उ0प्र0 सरकार के आदेशानुसार निविदा सूचना हिन्दी भाषा में भी प्रकाशित की जा सकती है। इसी क्रम में इस निविदा सूचना को हिन्दी भाषा में रूपान्तरित किया गया है। किसी प्रकार की भिन्नता/विषमता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा की निविदा सूचना अन्तिम मानी जायेगी।

19–कार्य के बीजक का भुगतान करते समय नियमानुसार जी0एस0टी0, आयकर लेबर सेस एवं अन्य आरोपित करों की कटौती की जायेगी।

20–कार्य की मात्रायें घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

21–निर्माण कार्य पर उच्च अधिकारियों/T.A.C. द्वारा जांच के दौरान किसी भी प्रकार की वसूली निकलती है तो उसका व्यय वहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

22–अनुबन्ध गठन के समय नियमानुसार स्टाम्प पेपर देय होगा।

23–शासनादेष संख्या 622/23.12.2012–02 आडिट/08, टी.एस.–02, दिनांक 08.06.2012 के आदेशानुसार प्रतिशत कम दर देने पर ठेकेदार को अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न प्रकार देय होगा।

(क)– 10 प्रतिशत कम दर पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर।

(ख)– 10 प्रतिशत अधिक दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर।

24–गन्ना आयुक्त स्तर से समय–समय पर जारी अथवा जारी किये जाने वाले निर्देशों/आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

25–विभाग किसी भी निविदा को कोई कारण बताये बिना अस्वीकृत/निरस्त कर सकता है।

26–लोक निर्माण विभाग मे पंजीकृत ठेकेदारों को गन्ना विकास विभाग की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उनके द्वारा क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त से अनुमति–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके लिये वे लोक निर्माण विभाग में पंजीकरण के आधार पर क्षेत्रवार जमानत धनराशि (वर्गीकरण के अनुसार) संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त के नाम (बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 के रूप में बन्धक) जमाकर अनुमति पत्र प्राप्त कर सकेगें।

27– निविदा सूचना में प्रकाशित कार्यो के लिये डिफेक्ट लाइबिलिटी समयावधि कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि से 2 वर्ष बाद तक की होगी।

28– समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग तथा एम0ओ0आर0डी0 की विस्तृत विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित किया जायेगा।

29– समस्त दरों में जी0एस0टी0 को छोडकर समस्त प्रकार के कर, रायल्टी एव लाभाश सम्मिलित है।

30– ठेकेदार को रायल्टी भुगतान का यथोचित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा की स्थिति में रॉयल्टी देयक भुगतान के समय अनुमन्य दरों के अनुसार ठेकेदार के बिल से काटी जायेगी।

31– निविदा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्रों को जिस लिफाफें में बंद कर उपलब्ध कराया जाये उस पर निविदादाता द्वारा केवल बिड आई.डी.संख्या (जो आन–लाईन निविदा सबमिट करने पर वेबसाईट द्वारा प्रजनित होती है) एवं कार्य का नाम ही अंकित की जायेगी इस लिफाफे पर निविदादाता द्वारा अपना अथवा अपनी फर्म का नाम अंकित नही किया जायेगा। डाक में हुई देरी के लिए निविदा आमन्त्रितकर्ता/विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नही होगे।

32–आन–लाईन सिस्टम में रूकावट होने पर अनापेक्षित देरी के लिये निविदा आमंत्रक की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

33–कार्यादेश प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त ही जारी किये जायेगें।

अवर अभियन्ता, गन्ना विकास परिषद मवाना लो

मंत्री, गन्ना विकास परिषद मवाना लो

कार्यालय गन्ना विकास परिषद मवाना लो, जनपद मेरठ।

पत्रांक 109/नि0/निर्माण   दिनांक 30-11-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सहायक अभियन्ता, गन्ना विकास विभाग, परिक्षेत्र मेरठ

2– जिला गन्ना अधिकारी, परिक्षेत्र मेरठ

3– अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, परिक्षेत्र मुरादाबाद

4– संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त, परिक्षेत्र मुरादाबाद

भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

6– जिला पंचायत, मेरठ

7– नगर पालिका मेरठ

8–उप निदेषक मण्डी मुरादाबाद

9–मुख्य अभियन्ता, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।

10–नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

मंत्री,
गन्ना विकास परिषद..............

Signature Not Verified
Digitally signed by RAJESH KUMAR
Date: 2017.11.30 23:51:05 IST
Location: Uttar Pradesh